हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	उ०आ०५ [illegible]	
	पेशी 21/2/22 को पेश हो	
	SDO Sojat उप खण्ड अधिकारी सोजत (जिला-पाली) राज.	
21/2/22	वकु बहस उप०।	
	बहस वकु बाद प्रार्थना पत्र धारा 110, 111, 128 R.R.Act सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम सरदार खेड़ा पटवार हल्का खोडिया तहसील सोजत के खसरा नम्बर 26, रकबा 0.53 हेक्टर, खसरा नम्बर 27 रकबा 0.5000 हेक्टर, खसरा नम्बर 28 रकबा 0.2400 हेक्टर खसरा नम्बर 31 रकबा 0.5300 हेक्टर ख.नं. 33 रकबा 0.9700 हेक्टर कुल खसरा 05 कुल रकबा 2.77 हेक्टर की कृषि भूमि प्रार्थी की खातेदारी की कब्जा काश्त की कृषि भूमि प्रार्थी की खातेदारी की आई हुई स्थित है। जिसका उपयोग, उपभोग शांति पूर्वक तरीके से कब्जा काश्त चला आ रहा है। अप्रार्थी उक्त कृषि भूमि के पड़ोसी खातेदार है। प्रार्थी की उक्त कृषि भूमि के पत्थर गढ़ी के अभाव में हर समय सीमाज्ञान/पत्थर गढ़ी के अभाव में हर समय सीमाओं धोरापाली को लेकर विवाद होते रहते है सो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थी की खातेदारी की उक्त कृषि भूमि का सीमांकन कब्जा काश्त की उक्त कृषि भूमि का सीमांकन कर मुताबिक कायम कर पत्थर गढ़ी किये जाने की इच्छा की है। अधिवक्ता अप्रार्थी ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी ने गलत व झूठे तथ्यों के साथ प्रार्थना पत्र पेश किया उक्त कृषि भूमि पर प्रार्थी का अकेले का कब्जा काश्त नहीं है वरन प्रार्थी के पिता रूपाराम के नाम सेटलमेन्ट के दौरान गलत दर्ज हो जाने से वर्तमान में प्रार्थी के नाम से दर्ज हुआ है। जबकि अन्य खातेदारों का भी कब्जा काश्त है। प्रार्थी की अकेले स्वयं का नाम होने से नियत जद है। अपनी प्रार्थी ने मात्र लाभ प्राप्त करने के आशय से	
	उप खण्ड अधिकारी सोजत (जिला-पाली) राज.	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	23/11/2015
	स्वयं का कब्जा होना बताया है। न्यायालय हाजा में खातेदारी घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश किया है जो लक्ष्मनराम पिता नारायण कीर्ट बनाम मुन्नाराम के नाम से विचाराधीन है इस प्रकार जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने की इस्तदुआ की है। बहस के दौरान भी अधिवक्ता उभयपक्षकारान ने अपने-अपने प्रार्थना पत्र तथा जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए इस्तदुआ की है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र, संलग्न दस्तावेज तथा अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र का अध्ययन कर बहस मुलाहिजा पर गौर कर मनन किया गया। प्रार्थित भूमि में प्रार्थी स्वयं खातेदार है। किसी भी खातेदार को अपनी कृषि भूमि का सही सीमाज्ञान करवाने तथा पत्थरगढ़ी करवाकर मुनारें कायम करने का वैध अधिकार है। प्रार्थित भूमि से संबंध कोई वाद न्यायालय हाजा में विचाराधीन है तो उक्त वाद विधिवत सुनवाई विधि सम्मत निर्णय किया जायेगा। हस्तगत प्रार्थना पत्र से किसी के हक अधिकार तय नहीं किये जा रहे। वर्तमान में प्रार्थी स्वयं खातेदार है जो अपनी भूमि का सीमाज्ञान/पत्थरगढ़ी करवाना चाहता है। लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 110, 111, 128 राज. भू-राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार करना उचित समझते है। :: आदेश :: उपरोक्त विवेचन/ फैसले मुताबिक प्रार्थी का प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 110, 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार सोजत उप खण्ड अधिकारी सोजत (पाली) राज.

नम्बर हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	उ/3/11/15 दि/11/15	
	को आदेश दिया जाता है कि वे समस्त मौजा ग्राम आपरा कब्जा शुदा के खसरा नम्बर 26, रकबा 0.53, हे०, खसरा नम्बर 27, रकबा 0.5000 हेक्टेयर, ख.न. 28. रकबा 0.2400 हेक्टेयर ख.न. 31 रकबा 0.5300, ख.न. 33 रकबा 0.9700 कुल खसरा नम्बर 05 कुल रकबा 2.77 हेक्टेयर भूमि का उभय पक्षकारानो की उपस्थिति में सीमाज्ञान करने हेतु सम्बन्धित पटवारी, भू.अ.निरीक्षक, एवं अन्य पटवारी की टीम का गठन कर तहसीलदार बाली स्वयं के नेतृत्व में सीमाज्ञान, पत्थर गढी की जाकर मुनाम कायम किये जावें। पालनार्थ, तहसील जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।	
	(हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी, बाली (पाली) राज.	